

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2004

का.आ. 626(अ) — आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3(ii), दिनांक 12 मार्च, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, की अधिसूचना सं. का.आ. 279(अ) में संशोधन करती है, नामतः :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 2 में, कॉलम (4) के अन्तर्गत, प्रविष्टि सं. (i) और (ii) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-III), मुम्बई”।

यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 146/2004/फा. सं. 500/18/2002-विदेश कर प्रभाग]

देवेन्द्र शंकर, निदेशक (विदेश कर प्रभाग)